कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 3614 / 1058/आउशि / सम. / 2023

नवा रायपूर, अटल नगर दिनांक. 1-23

प्रति.

1. कुलसचिव समस्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ

- 2. प्राचार्य समस्त महाविद्यालय छत्तीसगढ
- 3. संचालक छ.ग.राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी रायपुर
- 4. संचालक छ.ग.साहित्य अकादमी रायपुर
- 5. सचिव छ.ग.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग नवा रायपुर अटल नगर
- Facilitate the enrolment of prospective voters from the campues of विषय :educational institution regarding.
- 1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. का पत्र कमांक 01/03/निर्वा.नामा/पुन:-23/ 2022/4517 संदर्भ :-दिनांक 15.12.2022, पत्र क्रमांक 01/03/निर्वा.नामा/पुन:-23/ 2022/4042 दिनांक 17.11. 2022 एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, का पत्र डी.ओ.क्रमांक 01/03/निर्वा.नामा/पुन:-23/2022 / 2693 दिनांक 05.08.2022 ।
 - 2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3474/1058/सम./2022 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12.12.2022

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि संदर्भित पत्र क्रमांक- 02 द्वारा कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए उक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, पुनः पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

पत्र में दिये गये निर्देशानुसार उक्त जानकारी प्राथमिकता के आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार। (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17-01-23

पृ.क्रमांक 3615/1058/आउशि/सम./2023 प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शास्त्री चौक पुराना मंत्रालय परिसर रायपुर (छ.ग.)

2. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ प्रेषित। 7.1.2023

उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर दूरमाष- 2236685- फैक्स- 0771-2224476,2236684,

Website: ceochhattisgarh.nic.in, E-mail- ceoraipur.cg@nic.in

क्रमांक—01 / 03 / निर्वा.नामा. / पुन.—23. / 2022 / **Y 5) 7** प्रति,

रायपुर, दिनांक 15 DEC 2022

- सचिव,
 लोक सेवा आयोग,
 सेक्टर—19, अटल नगर, नवा रायपुर, (छ०ग०)
- 2. सचिव, छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं ओपन स्कूल टैगोर नगर, रायपुर (छ०ग०)
- संचालक,
 चिकित्सा शिक्षा विभाग,
 इन्द्रावती भवन, अटल नगर,
 नवा रायपुर (छ0ग0)
- संचालक,
 उच्च शिक्षा विभाग,
 इन्द्रावती भवन, अटल नगर,
 नवा रायपुर (छ०ग०)
- नियत्रंक,
 छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,
 व्यापम भवन, सेक्टर—19,
 अटल नगर, नवा रायपुर, (छ०ग०)

विषय:- Facilitate the enrolment of prospective voters from the campuses of educational institutions -Regarding

विषयांतर्गत भारत निर्वाचन आयोग नई—दिल्ली से प्राप्त निर्देश कमांक—23/AERO/2022-ERS, दिनांक 07/11/2022 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित कर लेख है कि आयोग द्वारा Enrolment of prospective voters from the campuses of educational institutions के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये है :—

1. नये युवा नागरिकों / छात्रों का मतदाता सूची का पंजीयन हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है यद्यपि इस हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18—19 आयुवर्ग समूह का पंजीयन बढ़ाने लगातार प्रोत्साहन एवं प्रयास किया जा रहा है तथापि इस वर्ग समूह की पंजीयन संख्या में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हुई है, चूंकि इस वर्ग समूह के अधिकांश व्यक्ति शैक्षणिक संस्थानों का हिस्सा होते है इसिलये इनका पंजीयन इन शैक्षणिक संस्थानों के सिकय सहभागिता से बढ़ाया जा सकता है।

2

निरन्तर 2

2. निर्वाचक नामावली में पंजीयन हेतु वर्ष में चार अर्हता तिथियां क्रमशः 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर का प्रावधान किया गया है। इससे अब प्रत्येक वर्ष सामान्यतः माह—नवम्बर, दिसम्बर में आयोजित होने वाले वार्षिक पुनरीक्षण के दौरान अधिक से अधिक युवा नागरिकों के नाम मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु फार्म—6 के द्वारा अग्रिम आवेदन/दावा प्रस्तुत करने हेतु प्रयास किया जा सकता है।

3. नए/संभावित मतदाताओं में 18—19 आयुवर्ग के अधिकांश निर्वाचक शैक्षिक संस्थानों का हिस्सा है । अतएव शिक्षण संस्थानों में सक्रिय भागादारी/प्रयास के

माध्यम से पंजीकरण को बढ़ाया जाना है ।

4. शिक्षण संस्थानों की वेबसाइट पर पंजीकरण के प्रोत्साहन / जागरूकता नारों के साथ"नए मतदाताओं के पंजीकरण" के लिये एक लिंक दिये जाने एवं इस लिंक में आवेदक को एनवीएसपी पोर्टल पर फार्म—6 "नए मतदाता का पंजीकरण" हेतु उपलब्ध कराया जाना है।

5. साथ ही पंजीकरण / परीक्षा फार्म के अंत में एक फील्ड ''नया मतदाता बनने के लिये आवेदन पत्र ''टैगलाइन के साथ अंतर्निहित है / करना होगा जिस पर एक क्लिक करने से आवेदक को पोर्टल के साथ टैगलाइन को हाइपर लिंक करके एनवीएसपी पोर्टल पर फार्म-6 ''नए मतदाता का पंजीकरण'' के लिए निर्देशित करेगा।

6. स्कूली स्तर पर पाठ्यक्रम, सह—पाठ्यक्रम और अतिरिक्त पाठ्यचर्या में चुनावी साक्षरता को शामिल करने के लिए आवश्यक रूपरेखा तैयार करने का कष्ट करेंगे।

7. उपरोक्त के संबंध में इस कार्यालय द्वारा आपके संबंधित विभागीय सचिव को पत्र

दिनांक 17/11/2022 को प्रेषित किया जा चुका है।

अतः उपरोक्तानुसार आयोग द्वारा जारी निर्देश के पालन में अपनी वेबसाईट एवं पंजीयन फार्म में "Application to be a new voter link" अतिशीघ्र दर्शित करने का कष्ट करें। साथ ही कार्यवाही उपरांत वेबसाईट का Screenshot लेकर एवं URL इस कार्यालय को प्रदान करना सुनिश्चित करें। उक्त हेतु इस कार्यालय से आवश्यक समन्वय हेतु श्री विनोद आगलावे, सिस्टम मैनेजर, मोबाईल नंबर—99267—74640 एवं श्री विकास शर्मा (सलाहकार) 7224921234 से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(रीना बाबासाहेब कंगाले) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, क्रिक्तीसगढ़, रायपुर

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI -110001

No. 23/AERO/2022-ERS

Dated: 7th November, 2022

To.

The Chief Secretary/Administrator, Of all States/UTs.

Subject: - Facilitate the enrolment of prospective voters from the campuses of educational institutions -regarding.

am directed to refer to the subject cited above and to state that the electoral rolls are prepared and revised, subject to the overall superintendence, direction and control of the Election Commission of India under Article 324 of the Constitution, in accordance with the provisions of Representation of People Act, 1950 and Registration of Electors Rules, 1960.

- 2. The Election Commission of India has always been committed for conducting free, fair and inclusive election, for which an error free and updated electoral roll is prerequisite. The electoral roll is updated regularly through the Annual Summary Revision and continuous updation, wherein special focus is given on registration of new/prospective electors, who are/would be eligible for registration in electoral roll.
- 3. Earlier, the registration in electoral roll was done with respect to one qualifying date i.e. Ist January of the coming year, however with the recent change in registration process; provision of four qualifying dates have been introduced, i.e. 01st January, 01st April, 01st July and 01st October of the year in which the final publication of electoral roll is done. The said provisions have enabled the more number of prospective electors to submit advance application/claim for registration in Form-6, upon the draft publication of electoral roll, usually done in November every year.
- 4. The registration of new/prospective electors has always been a challenging task, and inspite of Commission's consistent efforts for encouraging and increasing the enrollment in 18-19 age group, there has always been a shortfall in the registration number. As majority of such prospective electors are part of the educational institutes, the Commission feels that registration of young/prospective electors can be maximized through active participation of education

institutions by providing:-

A dedicated space on institutions websites where a link for "registration of new voters" along with awareness slogans may be given, to encourage the students for their registration as electors; this link would direct the applicant to Form 6-"Registration" f New Voter" on NVSP portal

A field embedded towards the end of registration/examination form with tagline (iii) "application form to be a new voter". A click on the same would direct the applicant to Form 6-"Registration of New Voter" on NVSP portal, by hyper-linking the tagline with portal.

Further, I am also directed to convey that suitable instructions may also be issued to education Department/Boards to include the Electoral Literacy in Curricula, Co-Curricula and Extra curricula at the school level. This has also been taken up with the Union Ministry of Education, GOI and the Ministry has assured for necessary revision in the National Curriculum framework (NCF). You are, therefore, requested to devise necessary framework for the inclusion of Electoral Literacy in the school curriculum of your state, in consultation with the Chief Electoral Officer of the concerned state/UT.

Accordingly, it is requested to send suitable communications in this regard to 6. educational department/universities/Boards falling under the purview of your State/UT to facilitate the enrolment of young/prospective electors in the electoral roll.

Yours faithfully,

[NARENDRA N. BUTOLIA]

SENIOR PRINCIPAL SECRETARY

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर दुरमाष- 2236685- फैक्स- 0771-2224476,2236684,

Website: ceochhattisgarh.nic.in, E-mail- ceoraipur.cg@nic.in

क्रमांक-01 / 03 / निर्वा.नामा. / पुन.-23. / 2022 / 40 4 2 प्रित.

रायपुर, दिनांक 1 7 NOV 2022

- प्रमुख सचिव,
 छ०ग०शासन, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार कौशल विकास,
 स्कूल शिक्षा विभाग,
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 अटल नगर नवा रायपुर, (छ०ग०)
- सचिव,
 छ०ग०शासन, उच्च शिक्षा,
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 अटल नगर नवा रायपुर, (छ०ग०)
- सचिव,
 छ०ग०शासन लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

विषय:- Facilitate the enrolment of prospective voters from the campuses of educational institutions -Regarding-

विषयांतर्गत भारत निर्वाचन आयोग नई—दिल्ली से प्राप्त निर्देश कमांक—23/AERO/2022-ERS, दिनांक 07/11/2022 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित कर लेख है कि आयोग द्वारा Enrolment of prospective voters from the campuses of educational institutions के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये है :—

1. नये युवा नागरिकों / छात्रों का मतदाता सूची का पंजीयन हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है यद्यपि इस हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18—19 आयुवर्ग समूह का पंजीयन बढ़ाने लगातार प्रोत्साहन एवं प्रयास किया जा रहा है तथापि इस वर्ग समूह की पंजीयन संख्या में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हुई है, चूंकि इस वर्ग समूह के अधिकांश व्यक्ति शैक्षणिक संस्थानों का हिस्सा होते है इसलिये इनका पंजीयन इन शैक्षणिक संस्थानों के सिक्वय सहभागिता से बढ़ाया जा सकता है।



- 2. निर्वाचक नामावली में पंजीयन हेतु वर्ष में चार अर्हता तिथियां कमशः 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर का प्रावधान किया गया है। इससे अब प्रत्येक वर्ष सामान्यतः माह—नवम्बर, दिसम्बर में आयोजित होने वाले वार्षिक पुनरीक्षण के दौरान अधिक से अधिक युवा नागरिकों के नाम मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु फार्म—6 के द्वारा अग्रिम आवेदन/दावा प्रस्तुत करने हेतु प्रयास किया जा सकता है।
- 3. इस हेतु शिक्षण संस्थानों की वेबसाइट में dedicated space एवं "नये मतदाताओं का पंजीयन" Registration of new voters" हेतु एक link प्रदान किया जाकर प्रोत्साहन / जागरूकता slogan दिये जा सकते है एवं इस link को NVSP Portal पर फार्म–6 "नए मतदाता का पंजीकरण" में Redirect किया जा सकता है।
- 4. साथ ही छात्रों के पंजीयन फार्म के अंत में एक फील्ड "नया मतदाता बनने के लिये आवेदन पत्र " application form to be a new voter " tagline के साथ दिया जा सकता है जिस पर click करने से या hyper link के माध्यम से NVSP Portal पर फार्म-6 "नए मतदाता का पंजीकरण" के लिए Redirect होने की सुविधा होगी।
- 5. उपरोक्त के साथ स्कूली स्तर पर चुनावी साक्षरता Electoral Literacy को पाठ्यकम, सह—पाठ्यकम और पाठ्येत्तर गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है । इस हेतु केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा National Curriculum framework (NCF) में revision की कार्यवाही की जा रही

अतः उपरोक्तानुसार लेख है कि अपने विभाग के अधीनस्थ संबंधित यूनिवर्सिटी/बोर्ड/आयोग को मतदाता सूची में नए युवाओं के पंजीयन की सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें । उक्त हेतु इस कार्यालय से आवश्यक समन्वयन हेतु श्री विनोद आगलावे, सिस्टम मैनेजर, मोबाईल नं.—99267—74640 से संपर्क स्थापित किया जा सकता है ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(रीना बाबासाहेब कंगाले) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI -110001

No. 23/AERO/2022-ERS

Dated: 7th November, 2022

To,

The Chief Secretary/Administrator, Of all States/UTs.

Subject: - Facilitate the enrolment of prospective voters from the campuses of educational institutions -regarding.

I am directed to refer to the subject cited above and to state that the electoral rolls are prepared and revised, subject to the overall superintendence, direction and control of the Election Commission of India under Article 324 of the Constitution, in accordance with the provisions of Representation of People Act, 1950 and Registration of Electors Rules, 1960.

- 2. The Election Commission of India has always been committed for conducting free, fair and inclusive election, for which an error free and updated electoral roll is prerequisite. The electoral roll is updated regularly through the Annual Summary Revision and continuous updation, wherein special focus is given on registration of new/prospective electors, who are/would be eligible for registration in electoral roll.
- 3. Earlier, the registration in electoral roll was done with respect to one qualifying date i.e. 1st January of the coming year, however with the recent change in registration process; provision of four qualifying dates have been introduced, i.e. 01st January, 01st April, 01st July and 01st October of the year in which the final publication of electoral roll is done. The said provisions have enabled the more number of prospective electors to submit advance application/claim for registration in Form-6, upon the draft publication of electoral roll, usually done in November every year.
- 4. The registration of new/prospective electors has always been a challenging task, and inspite of Commission's consistent efforts for encouraging and increasing the enrollment in 18-19 age group, there has always been a shortfall in the registration number. As majority of such prospective electors are part of the educational institutes, the Commission feels that registration of young/prospective electors can be maximized through active participation of education institutions by providing:

institutions by p

Date: U NUV 2022

No. 293

ADDLCEO :

ITCBO/SM)/JTCBO(KRRS)/DYCBO(AT)/

DYCYO(VA)/DDF/ACBO(RV)/ACBO(SA)/

ACBO(PT)/SM(VA)/Account(SK)/Stopo

(i) A dedicated space on institutions websites where a link for "registration of new voters" along with awareness slogans may be given, to encourage the students for their registration as electors; this link would direct the applicant to Form 6-"Registration" New Voter" on NVSP portal

(ii) A field embedded towards the end of registration/examination form with tagline "application form to be a new voter". A click on the same would direct the applicant to Form 6-"Registration of New Voter" on NVSP portal, by hyper-linking the tagline with portal.

5. Further, I am also directed to convey that suitable instructions may also be issued to education Department/Boards to include the Electoral Literacy in Curricula, Co-Curricula and Extra curricula at the school level. This has also been taken up with the Union Ministry of Education, GOI and the Ministry has assured for necessary revision in the National Curriculum framework (NCF). You are, therefore, requested to devise necessary framework for the inclusion of Electoral Literacy in the school curriculum of your state, in consultation with the Chief Electoral Officer of the concerned state/UT.

6. Accordingly, it is requested to send suitable communications in this regard to educational department/universities/Boards falling under the purview of your State/UT to facilitate the enrolment of young/prospective electors in the electoral roll.

Yours faithfully,

(NARENDRA N. BUTOLIA) SENIOR PRINCIPAL SECRETARY

Copy to: Chief Electoral Office

Chief Electoral Officers of all the States/UTs

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ शासन, विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भा.प्र.से.



मोबाईल नं कार्यालय र्ड-मेल

7587731888 : 0771-2236685

: ceoraipur.cg@gov.in : कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,

इन्द्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय परिसर, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.)

पिनकोड

डीओ क्रमांक : बिनि नामा रेपुन - 23/2693

रायपुर, दिनांक: 05/08/2022

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत नवीन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की वेबसाईट पर भारत आयोग की वेबसाईट "वोटर https://voterportal.eci.gov.in/ की लिंक की स्विधा उपलब्ध कराने विषयक।

ear Chyveness

विदित होंगे कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बडा लोकतंत्र है जिसकी जड़ों को मजबूत करने का कार्य भारतीय मतदाता अपने मताधिकार का गुणात्मक प्रयोग करके करता है।

युवाओं एवं भावी मतदाताओं का निर्वाचकीय प्रक्रिया के प्रति अरुचि एवं मतदान प्रकिया से नहीं जुड़ने की उनकी प्रवृति मुख्य चिंता का विषय है। भारत निर्वाचन आयोग युवाओं एवं भावी मतदाताओं के मध्य व्याप्त उपरोक्त अरूचिपूर्ण व्यवहार एवं प्रवृत्ति को दूर कर उन्हे मतदान प्रकिया से जोड़ने की मंशा रखता है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार युवा एवं नये मतदाताओं का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीयन कराये जाने हेत् विधि विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर पंजीयन की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करते हुए पूर्व निर्धारित अहर्ता तिथि 01 जनवरी के साथ अन्य अहर्ता तिथियों यथा-01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर भी जोड़कर वर्ष में 04 मौकें उपलब्ध कराये हैं।

आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का मतदाता सूची में 100% पंजीकरण हेत् महाविद्यालयों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 17 वर्ष की आयू पूर्ण करने वाले (17+) छात्र-छात्राएं भी भावी मतदाता के रूप में 18 वर्ष की आयु की प्राप्ति की तिथि से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेत् अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।

जैसा की विदित है मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु सभी भावी एवं नवीन मतदाता ऑनलाईन आवेदन वोटर हेल्पलाईन एप्प के माध्यम से स्वयं कर सकते है।

आपके विभाग का सरोकार विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में अध्ययरत देश के 17+ अधिक आयु प्राप्त कर चुके युवा छात्र—छात्राओं एवं नये मतदाताओं से है जिनका मतदाता सूची में नाम ऑनलाईन पंजीकरण कराने हेतु महाविद्यालय स्तर पर कार्ययोजना बनाकर प्रेरक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के संस्था प्रमुखों को कृपया निर्देशित किया जा सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के पंजीकरण के संबंध में किये गये आवश्यक संशोधनों से नवीन मतदाताओं को अवगत कराने हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों द्वारा संधारित वेबसाईट में मतदाता जागरूकता से युक्त पोस्टर को प्रदर्शित करने साथ ही उस पोस्टर को क्लिक करते ही भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट "वोटर पोर्टल" https://voterportal.eci.gov.in/ पर लेखां करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आपके स्तर से आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

"मजबूत लोकतंत्र में सबकी भागीदारी-आपकी भी।

Warms wishes!

(प्री. दयानन्द) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर

प्रति,


श्री भुवनेश यादव (आईएएस) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ०ग०)



उम्र हो गई मिला मुझे मत का अधिकार

यदि आप की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है या वर्ष 2023 में होने वाली है तो आज ही अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं।


- मतदाता सूची में नाम जुडवाने हेतु नवीन अहर्ता तिथि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर हैं।
- अब आप सुसंगत तिमाही में अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिए प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख (09.11.2022) से अग्रिम रूप से भी आवेदन कर सकते हैं।
- मतदाता पहचान पत्र अहर्ता तिथि के बाद स्वतः जारी किया जाएगा।
- 🗸 इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें अथवा ब्रथ लेवल अधिकारी या वोटर सर्विस सेंटर से सहायता लें और जानकारी प्राप्त करें।







📵 www.nvsp.in 🕓 1950 🕒 download voter help line app



CEOChhattisgarh

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़